

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. :::: 75 / 2020

सरकार बनाम रामस्वरूप पुत्र बनवारीलाल, जाति-अहीर,
निवासी- कुशलपुरा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 21.10.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रामस्वरूप पुत्र बनवारीलाल, जाति-अहीर, निवासी-कुशलपुरा द्वारा रोही मौजा कुशलपुरा की भूमि ख.नं. 6 के कुल रकबा 2.80 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है० भूमि पर टीन शैड व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से जवाब नोटिस पेश किया जिसमें उसने अपना अतिक्रमण हटा लिया बताया जिसकी पुनः मौका जांच पटवारी हल्का से ली गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.10.2020 को प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल का मौके पर अतिक्रमण आदिनांक तक कायम है। अतः गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब सही नहीं माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 05 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं..... 23पर
वर्ष. 2020-21 में रूपये..... 5/..... कायम किए

राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़